



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 739 राँची, बुधवार,

12 आश्विन, 1938 (श०)

4 अक्टूबर, 2017 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

26 सितम्बर, 2017

संख्या-8/गठन/104/2014/न०वि०आ०-6205-- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम-07, 2012) की धारा-3 की उपधारा-(2)(स) धारा-4, 5, 6 एवं 8 की उपधारा (3) में किये गये प्रावधान के आलोक में गिरिडीह जिलान्तर्गत गिरिडीह नगर परिषद्, वर्ग-'ख' के मूल रूप में उसके आस-पास के 26 राजस्व ग्रामों यथा:- (1) कल्याणडीह, (2) अन्दुडीह, (3) बिशुनपुर, (4) जरीडीह पचम्बा, (5) लखारी, (6) भंडारीडीह, (7) बोड़ो, (8) जोगीटांड, (9) कोलडीहा, (10) मोहलीचुवाँ, (11) बक्सीडीह, (12) महथाडीह, (13) जरबाद, (14) कमरशाली, (15) पेरसाबहियार, (16) चैताडीह, (17) मोहनपुर, (18) सिंहोडीह, (19) पाण्डेयडीह, (20) जरियागादी, (21) हरसिंहरायडीह, (22) रानीडीह, (23) भरोन्डीहा, (24) डांड़ीडीह, (25) सिरसिया एवं (26) परातडीह को मिलाकर विभागीय अधिसूचना संख्या-6156, दिनांक 25 सितम्बर, 2017 के द्वारा गिरिडीह नगर निगम का गठन किया गया है ।

2. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम-07, 2012) की धारा-15 की उपधारा-(2)(क) के परन्तुक में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा पार्षदों की संख्या

का निर्धारण अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना, जिसके सुसंगत आँकड़े प्रकाशित हो चुके हों, के आधार पर अवधारित करेगी।

3. झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के नियम-3 का उपनियम (1)(ग)(iii) में नगर निगम में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) के गठन का प्रावधान है। उक्त प्रावधान के आलोक में प्रथम 150000 की जनसंख्या पर वार्डों की न्यूनतम संख्या 35 होगी। इसके पश्चात् प्रत्येक 50000 की जनसंख्या पर 1 (एक) अतिरिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) का गठन हो सकेगा। उक्त नियम के स्पष्टीकरण में यह भी अंकित है कि “प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या के निर्धारण में गणना के निमित्त गणना में आधे से कम भाग को शून्य माना जायेगा तथा आधे या आधे से अधिक भाग को एक माना जायेगा।”

4. उपर्युक्त कंडिका से स्वतः स्पष्ट है कि पार्षदों की संख्या का अवधारण एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) की संख्या का विनिश्चय स्वाभाविक रूप से एक-दूसरे के पूरक हैं।

उक्त प्रावधान के आलोक में गिरिडीह नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत पार्षदों की संख्या/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की संख्या का अवधारण निम्न रूपेण किया जाता है:-

जिला	नगरपालिका क्षेत्र का नाम	जनगणना, 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या	मानक जनसंख्या के आधार पर वार्डों की न्यूनतम संख्या		अवशेष जनसंख्या के आधार पर अनुमान्य वार्डों की संख्या				कुल वार्डों की संख्या
			मानक जनसंख्या	मानक वार्डों की संख्या	अवशेष जनसंख्या	अतिरिक्त प्रत्येक वार्ड के गठन हेतु विनिर्धारित जनसंख्या	प्रतिशत/ अनुपात	वार्डों की संख्या	
गिरिडीह	गिरिडीह नगर निगम	181682	150000	35	31682	50000	0.633	1	36

5. उपर्युक्त अवधारण के आलोक में झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली-2012 के अध्याय 2, नियम 3 के तहत 2011 की जनगणना के आँकड़ों के आधार पर गिरिडीह नगर निगम में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की संख्या 36 एवं पार्षदों की संख्या भी 36 निर्धारित की जाती है ।

6. उक्त अवधारण का प्रभाव उपर्युक्त नगर निगम क्षेत्र पर तब तक नहीं पड़ेगा जब तक आम निर्वाचन के पश्चात् उनकी प्रथम बैठक हेतु नियत तिथि से पाँच वर्ष तक का कार्यकाल समाप्त न हो जाए ।

7. उक्त पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

8. यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से।

अरुण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव ।
